# जनसत्ता क्लासीफाइड

## व्यक्तिगत

I, Tidke Shilabai, legally mother of Army No. 15580282K, Rank-HAV, Name-Tidke Prashant Rajkumar, Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Village-Mundikota, PO-Mundikota, Teh.-Tirora, P/S-Tirora, Distt.-Gondia, Maharashtra-441911 have changed my name from TIDKE SHILABAI to SHILA RAJKUMAR TIDKE vide affidavit No. IN-UP93321377193615X dated 11-02-2025 0060124330-8

I, Tidke Rajkumar, legally father of Army No. 15580282K, Rank-HAV, Name-Tidke Prashant Rajkumar, Unit-114 ARMD ENGR REGT, C/o 56-APO, presently R/o Village-Mundikota, PO-Mundikota, Teh.-Tirora, P/S-Tirora, Distt.-Gondia, Maharashtra-441911 have changed my name from TIDKE RAJKUMAR to RAJKUMAR KOTHUJI TIDKEvide affidavit No. IN-UP93339606517997W dated 11-02-2025 0060124330-7

I, Sanju, legally wedded spouse of Army No. 15574813A, Rank-HAVALDAR, Name-Shekhawat Gajendra Singh, Unit-114 AER, C/o 56-APO, presently R/o Village-E-107, Jagdamba Nagar, Kalwar Road, Rawan Gate, Harnathpura, Jaipur-302012 PO-Jhotwara, Teh.-Jhotwara, P/S-Kardhani, Distt.-Jaipur, Rajasthan-302012 have changed my name from SANJU to SANJU KANWAR vide affidavit No. IN-UP93391016642485X dated 11-02-2025 0060124330-5

I, Rachna Devi, legally mother of Army No. 14831973P, Rank-Nk/MT, Name-Sachin Kumar Yadav, Unit-557 ASC BN, C/o 99-APO, presently R/o Village-2/220, Kanchan Nagar (A), PO-Gangaghat, Distt.-Unnao, Uttar Pradesh-209861 have changed my name from RACHNA DEVI to SHIV PYARI vide affidavit No. IN-UP91385289843807X dated 10-02-2025 0060124330-3

I, No -22051701A Swapan Boro Vill- Niz Chaharia Po- Lengeri bori Distt- Morigaon(Assam) Pin-782121 Here by declared that my wife name was wrongly entered in my service documents as Moromi Boro instead of Moromi Deori vide affidavit dt 11/02/2025 notory at lucknow (IN-UP93527316353994X)

0040773832-1

I , No-15717269P Nk Mahesh parasannavar R/o H/No-72/6 VTC - Gokak falls Po-Gokak falls Distric-Belagavi State-karnataka, Pin- 591308,That my daughter Name Prajna Parasannavar change my daughter Name from Prajna Mahesh Parasannavar in my service Record As par adhar card dob is 14/11/2017

0060124337-1

I, Army No. 14677876M, Rank-NK, Name-Desale Valmik Subhash, Unit-128 ARMD WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Village-Zodge, PO-Zodge, Teh.-Malegaon, P/S-Malegaon, Distt.-Nashik, Maharashtra-423205 have changed my daughter's name from ROOHEE DESALE to DESALE ROOHEE VALMIK vide affidavit No. IN-UP91754703646761X dated 10-02-2025 0060124330-2

I, Army No. 14677876M, Rank-NK, Name-Desale Valmik Subhash, Unit-128 ARMD WKSP, C/o 56-APO, presently R/o Village-Zodge, PO-Zodge, Teh.-Malegaon, P/S-Malegaon, Distt.-Nashik, Maharashtra-423205 have changed my Son's name from JIVANSH to DESALE JIVANSH VALMIK vide affidavit No. IN-UP91755697116283X dated 10-02-2025 0060124330-1

I, Anita, legally wedded spouse of Name-Sambhaji Pawar, presently R/o Village-Bhatagunaki, PO-Bhatagunaki, Teh.-Indi, P/S-Zalaki, Distt.-Bijapur (Vijaypura), Karnataka-586207 have changed my name from ANITA to ANITA PAWAR vide affidavit No. IN-UP91734264538291X dated 10-02-2025 0060124330-6

I No -22051572L,Rank-Sep, Name- MOOVENTHAN B,Unit-AMC Records Lucknow.hereby declare that my mother name MUNGALAESWARI B Wrongly entered in my service record office. correct mother name is ANGALA EASWARI

0040773853-1

I, Army No. 15581198W, Rank-HAV, Name-Palande V V, Unit-119 AER, C/o 56-APO, presently R/o Village-DHAMANAND, PO-DHAMANAND, Teh.-Khed, P/S-Wave, Distt.-Ratnagiri, Maharashtra-415718 have changed my Son's name from VEDANT to VEDANT VILAS PALANDE vide affidavit No. IN-UP93365212404824X dated 11-02-2025 0060124330-4

---

## पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

सीआईएनः L65910MH1984PLCO32639

**पंजीकृत कार्यालयः** यूनिट नंबर–601, 6वीं मंजिल, पीरामल अमीति बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, सामने फायर स्टेशन, एलबीएस मार्ग, कुरिया (पश्चिम), मुंबई – 400070 टीः+91 22 3802 4000

**शाखा कार्यालयः** कार्यालय संख्या 211 और 212, दूसरी मंजिल 'टाइटेनियम' शालीमार कॉर्पोरेट पार्क, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010। **संपर्क व्यक्तिः (1)। प्रशांत पांडे – 7054013999, (2). वैभव जैन – 9837536789, (3). विशाल केटेले – 9584966653।**

**ई–नीलामी बिक्री सूचना – आगामी बिक्री**

उधारकर्ता/ओं से देय राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की खरीद के लिए ''जहां है जैसा है'', ''जो है जैसा है वैसा'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

| ऋणकोड/शाखा/उधारकर्ता (ओ) /सह–उधारकर्ता(ओ /गारंटर(ओ ) | मांग सूचना की तिथि और राशि | संपत्ति का पता _अंतिम | आरक्षित मूल्य | बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी का 10प्रतिशत) | बकाया राशि (11–02–2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण कोड संख्याः HLSA0005814D, बदायूं (शाखा), संजीव कुमार (उधारकर्ता), ज्योति (सह–उधारकर्ता–1) | दिनांकः 17–08–2024 रु. 24,08,598.56 (रु. चौबीस लाख आठ हजार पाँच सौ अट्ठानवे मात्र और छप्पन पैसे) | संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार हैः– निजी प्लॉट संख्या 176, खसरा संख्या 1028 के ऊपर, ग्राम घनघोरा पिपरिया, ओम एस्टेट कॉलोनी, आयुष्मान अस्पताल, बरेली – 243202, उत्तर प्रदेश। सीमाएँः– उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 25 फीट रोड, पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट। | रु. 12,10,000/– (रु. बारह लाख दस हजार मात्र) | रु. 1,21,000/– (रु. एक लाख इक्कीस हजार मात्र) | रु. 25,67,889/– (रु. पच्चीस लाख सरसठ हजार आठ सौ नवासी मात्र) |

**ई–नीलामी की तिथिः 18–03–2025, प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 17–03–2025, शाम 4.00 बजे से पहले**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html पर दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।

**उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना**

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, होगा, यदि कोई हो तो उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

**दिनांकः 13.02.2025 स्थान : यूपी/यूके** **हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

## ई–नीलामी बिक्री सूचना

### एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

सीआईएन : U67100MH2007PLC174759

रिटेल सेंट्रल एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई–400098

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना**

प्रावधानित कॉलम में स्पष्ट रूप से उल्लिखित ईएआरसी–ट्रस्ट–एससी–489 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत **एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड** (इसके बाद ''ईएआरसी/एसाइनी'' सन्दर्भित) को पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की वित्तीय सुविधाएं एसाइन कर दी गयी हैं, कथित एसाइनमेंट के अनुसार ईएआरसी एसाइनर के स्थान पर आ गया है और प्रतिभूति लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करता है। यह कि ईएआरसी ने प्रतिभूत लेनदार की अपनी क्षमता में सरफैसी अधिनियम 13(4) तथा उसके तहत नियमों के अधीन नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार, सहकर्जदार(रों), विधिक उत्तराधिकारियों तथा जमानती(यों) 30/15 दिवसीय सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में बंधक नीचे वर्णित अचल प्रतिभूत आस्तियों, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी (एओ) द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री कर्जदार तथा सह–कर्जदारों से ईएआरसी द्वारा प्राप्त किसी धन को घटाकर ईएआरसी के बकाया इसमें उल्लिखित राशियों तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों/लागतों की वसूली के लिए **''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही है'', तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** आधार पर बिक्री की जायेगी। सम्पत्ति हेतु आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है। एतद्वारा कोई भी पूर्ववर्ती सूचना को तत्काल प्रभाव से वापस/आहरित किया जाता है और इस सूचना को मान्य माना जायेगा।

**ई–नीलामी हेतु प्रतिभूत आस्तियों का विवरण**

| क्र. सं. | ऋण खाता सं./ विक्रेता संस्थान | कर्जदार/सह–कर्जदार/ गारंटर के नाम | ट्रस्ट का नाम | 10.02.2025 तक कुल बकाया राशि रु. | आरक्षित मूल्य (रु. में) | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में) | नीलामी की तिथि एवं समय | कब्जे का प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HM/0045/H/16 /100178 | राहुल कुमार त्रिवेदी (कर्जदार) साथ में प्रतिष्ठा (सह–कर्जदार) | EARC-TRUST-SC-489 | ₹ 17,96,651.16/- | ₹ 10,00,000/- | ₹ 1,00,000/- | 19.03.2025 को 02:30 बजे अप. | भौतिक |

**संपत्ति का विवरणः** – प्लॉट नंबर 9 का समस्त भाग, आराजी नंबर 559 के भाग में स्थित है, मैथा कानपुर देहात में स्थित है 250 वर्ग गज में, शहर कानपुर नगर उत्तर प्रदेश पिनकोडः 208001। **इसकी सीमाः** – **उत्तरः** श्री राजन अवस्थी का प्लॉट **दक्षिणः** 12 फीट रोड **पूर्वः** 12 फीट रोड **पश्चिमः** प्लॉट नंबर 8

**नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना :**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सभी डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) उपर्युक्त के अनुसार '**एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड–ईएमडी खाता**' के पक्ष में आहरित तथा मुम्बई में देय होंगे। | |
| 2. | आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी भुगतान निम्नलिखित को किया जाएगाः **खाते का नाम** – एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड – ईएमडी खाता, खाता संख्या – 000405158602, **बैंक का नाम** – आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नरीमन पॉइंट, आईएफएससी कोड– **ICIC0000004** | |
| 3. | ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि | नीलामी की तिथि से 1 दिन पूर्व प्राप्त |
| 4. | संविदाएँ जमा करने का स्थान | रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुम्बई (नीचे उल्लिखित) |
| 5. | नीलामी का स्थान (नीलामी हेतु वेबसाइट) | ई–नीलामी (**https://auction.edelweissarc.in**) |
| 6. | सम्पर्क नं. | 18002666540 |
| 7. | सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय | पूर्व अनुमति के अनुसार |

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइट **https://auction.edelweissarc.in** में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

तिथि : 13.02.2025
स्थान : कानपुर

हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी (ईएआरसी–ट्रस्ट–एससी–477 एवं 410 एवं 483 के ट्रस्टी)
एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss

---

## शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय : 501, सेल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025**
**CIN : U65900DL2020PLC366027**

### नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित कर्जदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी किए गए व्यक्तिगत नोटिसों सहित विभिन्न मांगों और नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए गोल्ड लोन को समायोजित नहीं किया गया है। सभी कर्जदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार 27 फरवरी, 2025 को 03:00 बजे अप. उस शाखा परिसर में नीलामी की तिथि निर्धारित की गई है जहाँ से ऋण लिया गया था। नीलामी के नियमों और शर्तों के अनुसार इस नीलामी में कर्जदारों, खाताधारकों और बड़े पैमाने पर जनता सहित सभी भाग ले सकते हैं।

| क्र. सं. | शाखा | खाता सं. | धारक का नाम | सं.पिता/पति–पत्नी का नाम | पता | खाता खुलने की तिथि | पेऑफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आलमबाग | 102342510209 | रितेश के पांडे | वाया राकेश कुमार पांडे | प्लॉट नंबर 4,सीतापुर रोड, कृष्णा लोक कॉलोनी फैजुल्लागंज निराला नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 | 02-03-2024 | 201,857.35 |
| 2. | आलमबाग | 102342510710 | रितेश के पांडे | वाया राकेश कुमार पांडे | प्लॉट नंबर 4,सीतापुर रोड, कृष्णा लोक कॉलोनी फैजुल्लागंज निराला नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 | 09-10-2024 | 100,192.32 |
| 3. | इंदिरापुरम | 101942519454 | विशाल वी सिंह | पुत्र वीरेंद्र सिंह | एकघरा राय गंज नियर शिव, मंदिर राय गंज बहराइच उत्तर प्रदेश 271830 | 07-10-2024 | 40,262.30 |
| 4. | आलमबाग | 102342510706 | दीपक कुमार | वाया रजनीश | पी 1 2 खसरा नंबर 312 कल्याणी, विहार कामता चिनहट लखनऊ उत्तर प्रदेश 226028 | 09-10-2024 | 173,981.58 |
| 5. | आलमबाग | 102342510703 | हिमांशी देवी | वाया दीपक | सैदापुर हुमांपुर, सीतापुर उत्तर प्रदेश 261001 | 07-10-2024 | 168,777.90 |
| 6. | आलमबाग | 102342510184 | रामपाल | पुत्र प्यारे लाल | यूआ भवन आनंद नगर बरहा रोड उत्तर प्रदेश 226005 | 12-02-2024 | 76,019.32 |
| 7. | आलमबाग | 102342510282 | सौरभ गुप्ता | पुत्र सरवन | 14 ए/8, द्वारिकापुरी कॉलोनी बुद्धेश्वर लखनऊ, बिहार उत्तर प्रदेश 226017 | 30-03-2024 | 41,800.08 |
| 8. | आलमबाग | 102342510284 | भीष्म पांडे | पुत्र राजेश पांडे | प्लॉट नंबर 5, खसरा नंबर 203, गांव – सराय शेख लखनऊ, उत्तर धौना, चिनहट उत्तर प्रदेश 226028 | 31-03-2024 | 74,072.67 |
| 9. | विकासनगर | 102446510789 | संजय द्विवेदी | पुत्र त्रिभुवन दत्त द्विवे | ओ. शंकरपुर खदरी बिलाल मार्केट अल्लू नगर दिउरिया सीतापुर रोड, मडियांव लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 | 16-11-2024 | 129,588.37 |
| 10. | आलमबाग | 102342510299 | संजय द्विवेदी | पुत्र त्रिभुवन दत्त द्विवे | ओ. शंकरपुर खदरी बिलाल मार्केट अल्लू नगर दिउरिया सीतापुर रोड, मडियांव लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 | 04-04-2024 | 206,437.83 |
| 11. | आलमबाग | 102342510356 | अरविंद चौरसिया | पुत्र रमेश | बी 1/ 292, लखनऊ, प्रियदर्शिनी कॉलोनी उत्तर प्रदेश 226021 | 06-05-2024 | 39,135.90 |
| 12. | आलमबाग | 102342510425 | विक्रम त्रिपाठी | पुत्र राजेंद्र कुमार त्रिपाठी | देवकाली वैष्णो पुरम कॉलोनी, देवकाली बाईपास फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश 224001 | 31-05-2024 | 49,639.06 |
| 13. | आलमबाग | 102342510443 | कुलदीप सिंह | पुत्र गोरख | 1/218, विशाल खंड नियर लोहिया पार्क गेट नंबर – 1 गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 06-06-2024 | 267,099.37 |
| 14. | आलमबाग | 102342510499 | सैकत बनर्जी | पुत्र रंजीत बनर्जी | 6/125, विपुल खंड गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 03-07-2024 | 396,155.77 |
| 15. | आलमबाग | 102342510575 | सैकत बनर्जी | पुत्र रंजीत बनर्जी | 6/125, विपुल खंड गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 03-08-2024 | 366,593.47 |
| 16. | आलमबाग | 102342510643 | सैकत बनर्जी | पुत्र रंजीत बनर्जी | 6/125, विपुल खंड गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 04-09-2024 | 418,422.57 |
| 17. | आलमबाग | 102342510669 | सैकत बनर्जी | पुत्र रंजीत बनर्जी | 6/125, विपुल खंड गोमतीनगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 17-09-2024 | 411,995.94 |
| 18. | आलमबाग | 102342510532 | प्रकाश सिंह | पुत्र लक्ष्मण सिंह | 548 जीएचए/33.हरदोई मोहन रोड तालकटोरा रोड मानकनगर.तेजी खेड़ा आलमबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश 226011 | 18-07-2024 | 89,515.54 |
| 19. | आलमबाग | 102342510561 | सीमाशुक्ला | सरला पाठक पुत्र | प्लॉट नंबर 5, बारी रोड एम.डी.पब्लिक स्कूल, बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश 226003 | 30-07-2024 | 60,085.44 |
| 20. | आलमबाग | 102342510586 | उत्कर्ष मिश्रा | पुत्र शैलेष कुमार मिश्रा | 22–ए, छोटा भरवारा निकट मल्हौर स्टेशन, गोमतीनगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 07-08-2024 | 112,790.41 |
| 21. | आलमबाग | 102342510594 | लक्ष्मी मिश्रा | पुत्र लक्ष्मण मिश्रा | 544/465, एकता नगर लखनऊ सिटी कॉलेज, बालागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश 226003 | 12-08-2024 | 59,254.75 |
| 22. | आलमबाग | 102342510651 | उत्कर्ष पांडे | पुत्र राज | 15, इंदिरा नगर, शंकर पुरी कॉलोनी लखनऊ उत्तर प्रदेश 226016 | 06-09-2024 | 30,258.69 |
| 23. | आलमबाग | 102342510687 | संतोष कुमार | पुत्र रामचन्द्र | लखनऊ, चिंताहरण शिव मंदिर अमौसी, गौरी बाजार सरोजिनी नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश 226008 | 25-09-2024 | 114,253.54 |
| 24. | आलमबाग | 102342510707 | कुलदीप कुमार | पुत्र रामअवतार | ई6/76ए गोमती नगर एक्सटेंशन, पावर हाउस सेक्टर 6 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226010 | 09-10-2024 | 161,878.52 |
| 25. | आलमबाग | 102342510235 | अदिति खरे | पुत्र राकेश कुमार खरे | टी13/64 एएच, नीलगिरि एनक्लेव, सेक्टर 17 वृन्दावन योजना, कासग्रीन अपार्टमेंट के सामने, सेक्टर 17 लखनऊ उत्तर प्रदेश 226002 | 14-03-2024 | 15,336.83 |

**नीलामी की तिथि 27 फरवरी, 2025 को 3:00 बजे अप. है**

**बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।**

**प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

---

# नहीं रहे राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी

अयोध्या/लखनऊ, 12 फरवरी (जनसत्ता)।

अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का बुधवार को लखनऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया।

उन्हें इस महीने की शुरुआत में मस्तिष्काघात के बाद संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआइ) में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बताया कि राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी ने आज अंतिम सांस ली। उन्हें तीन फरवरी को मस्तिष्काघात के बाद गंभीर हालत में न्यूरोलाजी वार्ड के एचडीयू (हाइ डिपेंडेंसी यूनिट) में भर्ती कराया गया था।

सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर बुधवार दोपहर अयोध्या में उनके आवास पर लाया गया। उनके उत्तराधिकारी पुजारी प्रदीप दास ने बताया कि हम उनके सभी शिष्यों के आने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि गुरुवार दोपहर को उन्हें 'जल समाधि' दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने 85 वर्षीय महंत सत्येंद्र दास के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि यह आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 'एक्स' पर लिखा कि परम रामभक्त, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुःखद एवं आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ऊं शांति। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महंत सत्येंद्र दास के अनुयायियों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति दें। दास ने 20 वर्ष की आयु में 'संन्यास' ले लिया था। उन्होंने छह दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान भी पुजारी के रूप में सेवा की थी।

# महाशिवरात्रि पर नाथनगरी को पुष्पों से सजाने की तैयारी

बरेली, 12 फरवरी (जनसत्ता)।

इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर को पुष्पों से सजाने और महकाने की तैयारी की जा रही है। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कारोबारी और सामाजिक संगठनों के साथ हुई बैठक में कहा कि शिवरात्रि से एक सप्ताह तक शहर में पुष्पों से भगवान शिव के प्रतीक जैसे डमरू, शिवलिंग, त्रिशूल, चन्द्रमा एवं सर्प आदि की आकृतियां बनाकर सजावट की जाए।

बरेली शहर में सात प्राचीन शिव मंदिर त्रिवटी नाथ, अलखनाथ, बनखण्डी नाथ, मढ़ीनाथ, धोपेश्वर नाथ, तपेशवर नाथ और पशुपति नाथ के होने के कारण शिवभक्त इसे नाथ नगरी के नाम से पुकारते रहें हैं। बरेली की धार्मिक पहचान को बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से नाथ नगरी परियोजना चलाई जा रही है। इसके तहत इन मंदिरों को आपस में जोड़ने वाले मार्गों का सौन्दर्यकरण कराया जा रहा है। प्रशासन की विभिन्न संगठनों के साथ मंगलवार को हुई बैठक में महाशिवरात्रि से एक सप्ताह तक प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुष्पों से सजावट करने का निर्णय लिया गया है।

शहर के लोगों से भी अपील की गई है कि महाशिरात्रि के पावन पर्व पर अपने–अपने घरों, शोरूम आदि के बाहर एक सप्ताह तक पुष्प अथवा गमले प्रदर्शित करें। इससे शहर में पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति लोगों में नई चेतना विकसित होगी। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आभा एक नए रूप में सामने आएगी।

# शराब पीने के बाद पिता को पटक-पटक कर मार डाला

चंदौली, 12 फरवरी (जनसत्ता)।

जनपद के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर चौकी अन्तर्गत महाबलपुर गांव में बुधवार को एक पिता ने अपने पुत्र के साथ बैठकर खूब शराब पी। उसके बाद विवाद में बेटे ने अपने पिता को पटक–पटक कर मार डाला। मुगलसराय के सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि महाबलपुर गांव का निवासी बाढ़ू (75) अपने बेटे राजेश (35) के साथ शराब पी। फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर कहीं चला गया।

उधर, कमरे में बंद उनका बेटा राजेश दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोला कुछ देर के बाद उसका पिता बाढ़ू आया और दरवाजा खोला तब तक आक्रोशित पुत्र पिता को पटक–पटक कर लात घूसों से पिटाई करने लगा। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो ईंट पत्थर से वार किया और पास में पड़ी हथौड़ी से भी वार किया जिससे उसके पिता की मौत हो गई। बाढ़ू अपने छोटे पुत्र की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद एक साल पहले घर आया था।

---

## हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक,
वसंत विहार, नई दिल्ली – 110057,
शाखा कार्यालयः कार्यालय संख्या प्रथम तल, प्लॉट संख्या–डी2/53,
विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश–226010

### शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र जनसत्ता–लखनऊ में दिनांक 12–02–2025 को प्रकाशित **[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत, के अनुसार]** अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (ई–नीलामी)के हमारे विज्ञापन के संदर्भ में है, इस सार्वजनिक सूचना को **'अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (ई–नीलामी) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत]** के स्थान पर 'अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (ई–नीलामी) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के अन्तर्गत,'पढ़ा जाना चाहिए तथा इसे ''ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को 30 दिनों का बिक्री नोटिस'' के स्थान पर ''ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता को 15 दिन का बिक्री नोटिस'' पढ़ा जाना चाहिए। और संपर्क व्यक्ति को भी **"Mr. Ershad vyh@ershad.ali@herohfl.com"** के बजाय **"Mr. Ershad Ali/ershad.ali@herohfl.com"** पढ़ा जाना चाहिए। अनजाने में हुई इस गलती के लिए हमें खेद है।

**दिनांकः 13–02–2025,** **अधिकृत अधिकारी**
**स्थानः– लखनऊ** **हस्ता./– हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

---

## ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

**600/1, यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान मंदिर के पास, लखनऊ-226007 वसूली अधिकारी कार्यालय डी.आर.टी., लखनऊ**

**डीआरसी नं.1261/2023.** **वसूली का मामला**

**आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस, ऋण वसूली और दिवा. लियापन अधिनियम, 1993 की धारा 29 के साथ पठित।**

**करूर वैश्य बैंक ...आवेदक**
**बनाम**
**श्री अमित पाहवा और अन्य ...प्रतिवादी**

**सेवा में,**

1. **श्री अमित पाहवा पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार पाहवा पताः** सी–543, प्रथम तल, सेक्टर–7, अवंतिका, रोहिणी, उत्तर–पश्चिम दिल्ली, दिल्ली – 110085।
2. **मेसर्स टीडीआई इन्फ्राकॉर्प (इंडिया) लिमिटेड अपने निदेशकों के माध्यम से पंजीकृत कार्यालयः** यूजी फ्लोर, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001
   **कॉर्पोरेट कार्यालयः** लेक साइड हाइट्स, लेक ग्रोव सिटी, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा– 131028

**(I)** चूंकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ ने ओ.ए. संख्या 291/2021 प्रमाण पत्र संख्या 1261/2023 दिनांक 27.01.2023 में **रु. 40,41,498.45/- (रूपये चालीस लाख इकतालिस हजार चार सौ अट्ठानवे और पैतालीस पैसे मात्र)** के लिए मूल आवेदन दाखिल करने की तिथि यानी 27.04.2021 से ऋण के पूर्ण रूप से परिसमापन होने तक 7.00प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से पेंडेंट–लाइट और भावी ब्याज, लागत और प्रभारों सहित संयुक्त रूप से और अलग–अलग और इसकी वसूली तक लागतों के लिए एक डिक्री तैयार की है।

**(II)** आपको इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के अनुसार वसूली की जाएगी।

**(III)** आपको 20.05.2025 को प्रातः 10:30 बजे से पहले हलफनामे पर परिसंपत्तियों का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।

**(iv)** आपको 20.05.2025 को प्रातः 10:30 बजे नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।

**(v)** उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित लागतों का भुगतान करने का भी दायित्व होगा।

**लागत का विवरणः**

1. **आवेदन शुल्क की राशि** – रु. 43,010/–
2. **अधिवक्ता शुल्क** – रु. दावा नहीं किया गया
3. **प्रकाशन शुल्क** – रु. दावा नहीं किया गया
4. **विविध व्यय** – रु. दावा नहीं किया गया
5. **क्लर्केज** – रु. दावा नहीं किया गया

इस 9 जनवरी, 2025 को लखनऊ में मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिया गया।

**वसूली अधिकारी**
**ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ**

---

## उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ई निविदा सूचना,

इलेक्ट्रॉनिक निविदा निम्नलिखित कार्यों हेतु दो भागों में अलग–अलग ई–टेण्डर योग्य फर्मों से निम्नांकित विवरणानुसार धरोहर राशि व निविदा लागत सहित आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं शर्तें ई–टेण्डर पोर्टल **www.etender.up.nic.in** पर डाउनलोड किये जा सकेंगें। यदि निविदा खुलने का दिवस अवकाश का दिवस है तो निविदा अगले कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय पर खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि व किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बतायें अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। **क्र०सं०**: 1; **निविदा संख्या** : E-T-07/24-25; **कार्य का संक्षिप्त विवरण**: 132 के0वी0 उपकेन्द्र जहानाबाद में 132के0वी0 मलवां–प्रथम व द्वितीय फीडर के पी०टी० को 0.2 एक्यूरेसी पी०टी० से बदलने हेतु।; **धरोहर राशि** : 500/– **निविदा अपलोड करने का दिनांकः कब से**: 13.02.2025; **कब तक**: 20.02.2025; निविदा खुलने का दिनांकः 21.02.2025; **"राष्ट्रहित में बिजली बचायें।" हस्ता./–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड–फतेहपुर, पत्रांकः** 126/ **वि०प०ख० (फ)/ टेन्डर नोटिस, दिनांक**–05.02.25

---

## आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे-(एमएच) 400601

**मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)**

**प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।**

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालाँकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा हैः

| क्र. सं. | उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और गारंटर/सह–गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या | एनपीए की तिथि | मांग सूचना की तिथि | डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **1. अंकुश कुमार** प्लॉट नंबर डी–6 आराजी नंबर 336, राघवेंद्र चंदेल नगर ग्राम, परसौली, चंदेल नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208008 से निर्मित **2. रत्ना राजलक्ष्मी** प्लॉट नंबर डी–6, आराजी नंबर 336, राघवेंद्र चंदेल नगर ग्राम, पारसौली, चंदेल नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208008 से निर्मित **3. अंकुश कुमार** मकान नं. 89 बी, हरदेव नगर बर्रा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208027 **4. रत्न राज लक्ष्मी** मकान नंबर 89 बी, हरदेव नगर बर्रा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208027 **5. अंकुश कुमार** सी/ओ आरकेआर पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड 84 ⁄ 60, अनवरगंज, कानपुर 03, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208001 **6. रत्ना राज लक्ष्मी** सिंदौस, इटावा, उत्तर प्रदेश–206125<br>**ऋण खाता संख्याः LNkAN0HL&12200078605** और **LNkAN0HL&12200078606** | 03.02.2025 | 07.02.2025 | रूप्ये 12,64,788/– (केवल बारह लाख चौसठ हजार सात सौ अठासी रुपये) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और 05.02.2025 तक ब्याज के रूप में। |

**गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरणः** आवासीय निजी भूखंड संख्या डी–6 का वह पूरा टुकड़ा, जो आराजी संख्या 336 से काटा गया है, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर है, जो राघवेंद्र चंदेल नगर, ग्राम परसौली, तहसील परगना और जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश–208008 में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार हैः **पूर्वः** भूखंड संख्या डी–7, **पश्चिमः** भूखंड संख्या डी–5, **उत्तरः** भूखंड संख्या डी–19, **दक्षिणः** 30 फीट रोड।

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमे लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

**दिनांकः 13.02.2025** **हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी**
**स्थानः उत्तर प्रदेश** **(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)**